भारत सरकार
संसदीय कार्य मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 6190
दिनांक 01.04.2026 को उत्तर के लिए

परामर्शदात्री समिति प्रबंधन प्रणाली

6190. श्री विनोद लखमशी चावड़ाः
श्री मुकेशकुमार चंद्रकांत दलालः
श्री लुम्बाराम चौधरीः
सुश्री कंगना रनौतः
श्री विष्णु दयाल रामः
श्री रमेश अवस्थीः
श्रीमती कमलजीत सहरावतः
श्री दिनेशभाई मकवाणाः

क्या संसदीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ऑनलाइन परामर्शदात्री समिति प्रबंधन प्रणाली (सीसीएमएस) की शुरुआत के साथ, वर्तमान में कार्यरत 42 परामर्शदात्री समितियों की बैठकों के कार्यवृत्त रिकॉर्ड करने और निर्णयों की प्रक्रिया अधिक सुचारू और व्यवस्थित हो गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या भारत-यूरोपीय संघ संबंधों के विषय पर विदेश मंत्रालय की अध्यक्षता में आयोजित वर्ष 2026 की पहली परामर्शदात्री समिति की बैठक यह सकारात्मक संकेत देती है कि व्यापार और सुरक्षा नीतियों के निर्धारण में संसद सदस्यों के सुझावों को शामिल किया जा रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या मंत्रालय ने मार्च 2026 के लिए "विकसित भारत के लिए सशक्त युवा" और "कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) के लिए कौशल विकास" विषयों पर निर्धारित विशेष समिति की बैठकें आयोजित करने के अपने उद्देश्य को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(घ) क्या यह भी तथ्य है कि मंत्रालय ने नई डिजिटल सूचना प्रणाली और विवरण पत्रों के लिए 'प्रसार' पोर्टल के माध्यम से उक्त समितियों में संसद सदस्यों की उपस्थिति बढ़ाने के लिए प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित की है?

उत्तर

विधि एवं न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (घ) परामर्शदात्री समिति प्रबंधन प्रणाली (सीसीएमएस) पोर्टल की शुरुआत संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा परामर्शदात्री समितियों की बैठकों के सुगम प्रबंधन और निगरानी हेतु की गई थी। इसने परामर्शदात्री समितियों के कामकाज को अधिक सुचारू और व्यवस्थित रूप से संचालित करने में मदद की है। परामर्शदात्री समितियों की स्थापना के पीछे का मूल उद्देश्य संसद सदस्यों और सरकार के बीच अनौपचारिक चर्चा हेतु एक मंच का सृजन करना था। परामर्शदात्री समितियों के गठन, कार्यों और प्रक्रियाओं से संबंधित दिशानिर्देशों के अनुसार, संसद सदस्य किसी भी ऐसे मामले पर चर्चा करने के लिए स्वतंत्र हैं, जिस पर संसद में उचित रूप से चर्चा की जा सकती है। संसद के किसी भी सदन में, परामर्शदात्री समिति की बैठक में हुई किसी भी बात का उल्लेख करना वांछनीय नहीं है। यह नियम सरकार और सदस्य, दोनों के लिए बाध्यकारी है। संसद सदस्यों की उपस्थिति में वृद्धि करने के लिए, परामर्शदात्री समितियों की बैठकों से संबंधित जानकारी सदस्यों तक भौतिक सूचनाओं (नोटिस) और इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से पहुंचाई जाती है, इसके अतिरिक्त, मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा इस संबंध में उनसे अनुवर्ती संपर्क भी किया जाता है।
